

50/53

4488

5



पञ्च हज़ार रुपये

A 260450



श्री. सज्जिन

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - ₹0 1,43,000/-
 बाजार मूल्य - ₹0 1,98,000/-
 अदा किये गये जगरण स्टैम्प-₹0 19,800/-

- 1. भूमि का प्रकार - कृषि
- 2. परगना - चित्तौड़
- 3. ग्राम - धरौना
- 4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 146 रकबा

श्री. सज्जिन

श्री. सज्जिन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



0.180 हे० का पूर्ण भाग स्थित
ग्राम- बरौना, परगना बिजनौर,
तहसील व जिला लखनऊ।

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 5. | मापन की इकाई | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.180 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से
लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि |

२/११/२०२१

११/११/२१





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



10. धोरण/ कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है ।

चौहद्दी खसरा नं0 146

- उत्तर : खसरा नं0-131
- दक्षिण : खसरा नं0-147
- पूरब : खसरा नं0-276
- पश्चिम : खसरा नं0-142,144,145

लखनऊ

निःसर्ग





-4-

द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	ः	क्रेता का विवरण
लवकुश पुत्र परीदीन निवासी ग्राम बरीना, परगना बिजनीर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय- कृषि	:	संजय पुत्र केशन निवासी ग्राम भिर्जापुर भिटारी पो० नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर। व्यवसाय- कृषि

यह विक्रम बिलेख लवकुश पुत्र परीदीन निवासी ग्राम बरीना,
परगना बिजनीर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया

लवकुश

12. 29. 94





- 5 -

है एवम् संजय पुत्र केशन निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगाँव,
तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित
किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 146 रकबा 0.180 हे० का पूर्ण
भाग स्थित ग्राम-बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का
मालिक, कामिल व काबिल है तथा उपरोक्त सत्यापित पटवार्षिक खतौनी

अबकुश

10/1/1999





-6-

क्रम संख्या 00 -> गणेश्वर भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में २५०० चार एकड़ों के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेख में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरपलस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता

रफिकुल्ला

र संवेद





- 7 -

है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिवा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या

अवकाश

१० स १२





- 8 -

सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य ₹0 1,43,000/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस बिलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के

अनुसूची

संलग्न





- 9 -

अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

असुरेश

14 सतजय





- 10 -

विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता व उसके वारिसात उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा

(अ. डी. अ.)

13. 27 02





- 11 -

सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के कारण या कानूनी
 अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण
 इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके
 वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त
 नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये

अक्षर

श्री. स. ग. थ





- 12 -

अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

आपके

१५ स्वयं



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 584470

- 13 -

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

सत्यमेव जयते

10. स. 6. 2



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 14 -

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेअर हिसाब से विक्रीत भूमि 0.180 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,98,000/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजार मूल्य पर ही रू0 19,800/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि

(म.प. मु.प्र.)

15.12.21



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 15 -

के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों
एच.कुं. 17. 12. 18



1522

05-05-2007

राज्य

संजय ए/ओ अखत

राज्य

15/5/07

(Signature)

विक्रय पत्र

141,000.00 198,000.00

3,960.00 40 4,000.00 2,000

काल राजपूरी नकल व प्रति शुल्क चोग अन्व लागता

श्री श्रीमती लखनऊ
पुत्र/पत्नी श्री परीदीन
पेशा कृषि
निवासी बरीना लखनऊ
अन्वयांचे पत्र

राजकुंरी



ने अह संरक्षण इग कार्यालय दिनांक 5/5/2007 सकाळ 8:14PM

तसे निवचन हेतु पत्र किरा। राजकुंरी

राकेश शुक्ला
उप निवन्धक (प्रथम)
लखनऊ
5/5/2007

निष्पादन न्यायपत्र वाट घडने व संरक्षणे संजय व पात्र घनगति * घनेरक्षणकार उक्त

श्री/श्रीमती लखनऊ
पुत्र/पत्नी श्री परीदीन
पेशा कृषि
निवासी बरीना लखनऊ

राजकुंरी



श्री/श्रीमती संजय
पुत्र/पत्नी श्री केशव
पेशा व्यापार
निवासी मिर्जापूर भिटारी फतेहपुर

(Signature)



ने निष्पादन घोषित किरा।

दिनांक घनगति श्री मनोज कुमार

पुत्र श्री गुरुप्रसाद

पेशा व्यापार

मनोज कुमार

निवासी भेकहन खेवा हसनपुर खेवली लखनऊ

पुत्र श्री राजीव कुमार

पेशा श्री बहादुर

पेशा व्यापार

निवासी लालबाग लखनऊ



(Signature)

प्रवक्ष्यः जय गार्डिया के निधान अंगुटे निष्पादुकार निवे गवे हे।

राकेश शुक्ला
उप निवन्धक (प्रथम)
लखनऊ
5/5/2007

अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू० 1,43,000/- द्वारा चेक संख्या- 418047 दिनांकित 05.05.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 1,43,000/- (रूपया एक लाख तिरालिस हजार मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक : 05.05.2007

गवाह :-क्रेता की पहचान की

1. *Sumil Duttan Singh*
310824 @ C. Duttan
2338 Buxar Singh
L.P.O

2. विक्रेता पहचान की

मनोज कुमार S.I. हजरतगंज
3135 नरेश, एस.न.ए. रवेवली,
लखनऊ

टाईपकर्ता

(मनोज कुमार)

सिविल कोर्ट लखनऊ

लखनऊ

विक्रेता

1. 29/5/07



भसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 4499

Year: 2007

Book No. 1

0101 लक्ष्मण

परीक्षित

पता: ———

५१४



५



वसुधैव कुटुम्बकम्

146

संस्कृत



वसुधैव

संस्कृत



क्र. १

क्रेता

Registration No. 4499

Year: 2007

Book No. 3

0001 संजय

मन्जुवा मिहारी कलेक्टर

वापराय



3



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 (3) के अनुपालन हेतु,

फिंजर प्रिन्ट्स


प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :-

बलकृष्ण बरौत
दरभद्र

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




बलकृष्ण

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर


विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

श्री वि. फ. मिश्रा (दरभद्र)
पान ६५२

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर


वि. फ. मिश्रा

आज दिनांक 05/05/2007 को

संख्या 8314

पृष्ठ सं. 177 से 212 पर क्रमांक 4499

रजिस्ट्रीकृत किया गया।


श. शक्ता

रूप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

5/5/2007

